बृहदाकार बहु–उद्देशीय को–ऑपरेटिव सोसाइटी (लैम्पस) लिमिटेड, नामकुम

प्रमाणित किया जाता है कि नामकुम लैम्पस लि॰ नि॰ सं॰ 56(R)/दि॰ 16-05-1977 की उप–विधियों की धारा 03 में संशोधन हेतु दि॰ 18·02·13 को आम सभा/असाधारण आमसभा की बैठक की प्रस्ताव संख्या 02 द्वारा पारित संकल्प के आलोक में झारखण्ड सहकारी समिति अधिनियम 1935 (एक्ट 6,1935) (अंगीकृत) की धारा 25(2) के प्रावधानानुसार विधिवत निबंधित कर दी गई है।

30/3/13

जिला सहकारिता पदाधिकारी
राँची

की

उप–विधियाँ

कार्यालय, जिला सहकारिता पदाधिकारी, [illegible]

संशोधन का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित [illegible] जाता है कि नामकुम लैम्पस लि॰ नामकुम की निबं[illegible] [illegible] 4(ख)(ग),15,16,17 (घ),18,24[illegible] 53 (ज),58(3) (ख) एवं [illegible] 07·3·2011 को हुई साधारण/[illegible] 02 द्वारा पारित प्रस्ताव के [illegible] अधिनियम, 1935 (अंगीकृत) अधिनियम [illegible] सहकारी द्वारा प्रमाणित कर निबंध[illegible]

29/3/11

जिला सहकारिता पदाधिकारी
राँची

दिनांक ....

ज्ञापांक 184/रांची, दि॰ 29·03·11

बृहदाकार बहु–उद्देशीय को–ऑपरेटिव सोसाइटी (लैम्पस) लिमिटेड नामकुम की उप–विधियाँ।

1. नाम और पता :– यह सोसाइटी जिसकी रजिस्ट्री झारखण्ड को–ऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, 1935 के अन्तर्गत हुई है।

बृहदाकार बहु–उद्देशीय को–ऑपरेटिव सोसाइटी (लैम्पस) लिमिटेड कहलायेगी और इसका रजिस्टर्ड पता
ग्राम ....नामकुम.... पोस्ट – ....नामकुम....
थाना ....नामकुम.... सबडिवीजन –रांची....
जिला ....राँची.... होगा।

अगर इसके रजिस्टर्ड पता में किसी प्रकार का परिवर्त्तन किया जायेगा तो इसकी सूचना 15 दिनों के भीतर निबंधक, सहयोग समितियॉं, झारखण्ड, राँची, को–ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, राँची और अर्थ–प्रबंधक बैंक को दे दी जायेगी।

2. उद्देश्य :– इस सोसाइटी के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे :–

(1) सदस्यों में मितव्ययिता, अपनी मदद आप करने और दूसरे की मदद करने की भावना को प्रोत्साहन देना तथा इसके लिए आवश्यक योजनायें बनाना और उन्हें कार्यान्वित करना।

(2) उन्नत ढ़ंग की खेती करने के लिए सदस्यों को प्रोत्साहन देना तथा इसके लिए आवश्यक साधनों को जुटाना।

(3) सदस्यों के बीच सहकारी संयुक्त खेती को बढ़ाना।

(4) सदस्यों को अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा उपभोग ऋण देना।

(5) सदस्यों की कृषि सम्बन्धी आवश्यकताओं, जैसे बीज, खाद उर्वरक, यंत्र हल, कीटाणुनाशक औषधियां इत्यादि एवं ग्राम उद्योग तथा कुटीर उद्योग और दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं तथा साधनों को प्राप्त करना तथा वितरण करना।

(6) ग्राम उद्योग या गृह उद्योग के आधार पर सदस्यों के ग्राम औधोगिक कार्यो को संगठित करना तथा सहायता देना।

(7) (क) सदस्यों के सभी प्रकार की कृषि उपज, ग्राम उद्योग, कुटीर उद्योग तथा छोटे वनोत्पन्न को उचित मूल्य पर बिक्री करने का प्रबन्ध कराना।

(ख) सदस्यों को अपनी पैदावार का वर्गीकरण, परिष्करण (प्रोसेसिंग) तथा यातायात की सुविधायें प्रदान करना।

(8) सदस्यों की खेती की उत्पादन योजना तैयार करना और उसको उचित रूप से कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक कारवाई करना।

(9) सदस्यों की पैदावार तथा अन्य सामग्री का सुरक्षित रखने के लिए निजी गोदाम प्राप्त करना, बनवाना या किराये पर लेना।

(10) उन्नतशील बीज का उत्पादन बढाने के लिए सदस्यों को आवश्यक सहायता देना।

(11) सोसायटी के कार्यक्षेत्र में कम्पोस्ट तथा हरी खाद बनवाने का अलग–अलग तथा सामूहिक प्रबन्ध करना।

(12) सदस्यों की आवश्यकतानुसार उन्हें कृषि यंत्र आदि किराये पर देने के लिए व्यवस्था करना।

(13) उन्नतशील सांढ, बकरी, मुर्गी आदि द्वारा सदस्यों के पशुओं का नस्ल सुधारने की व्यवस्था करना।

(14) किसी भी सहकारी संस्था के उप–एजेन्ट के रूप मे अथवा अल्प प्रकार से बीज वितरण और उसकी वसूली का कार्य करना।

(15) सदस्यों की कृषि उन्नति के लिए सिंचाई के साधनों तथा भूमि संरक्षण की व्यवस्था करना।

(16) सहकारी भू–विकास बैंक के एजेन्ट के रूप में दीर्घकालीन ऋण वितरण एवं वसूली का कार्य करना।

(17) धान से चावल निकालने का हॉलर, आटा–चक्की, तेल धानी, बिनौला पेरने की घानियां, जीन आदि प्रक्रिया यंत्र तथा ट्रेक्टर, यांत्रिक हल, पम्प आदि सदस्यों को लाभार्थ स्वयं खरीदना अथवा किराये पर लेना।

(18) बीज भंडार स्थापित करना तथा उसे चलाना।

(19) वैज्ञानिक ढंग से मछलीपालन को प्रोत्साहन देना तथा मछलीपालन एवं संग्रह के लिए तालाब प्राप्त करना, खरीदना, पट्टे पर लेना और ऐसी मछलियों की बिक्री की व्यवस्था करना।

(20) दूध और दूध से बने पदार्थ की बिक्री का प्रबन्ध करना।

(21) कुक्कुट एवं उनसे उत्पादित वस्तुओं की बिक्री का प्रबन्ध करना।

(22) कार्यक्षेत्र के भीतर प्रवीण और अप्रवीण काम का ठीका या दूसरे तरह से लेना।

(23) सदस्यों के तथा उनके परिवार के सदस्य की रक्षा के प्रबन्ध में सहायता करना।

(24) सदस्यों के तथा उनके परिवार की शैक्षिक व्यवस्था की स्थापना एवं कायम रखने में मदद करना।

(25) सदस्यों के हितों को प्रभावित करने वाली समस्त समस्याओं को सहकारी रीति द्वारा निपटाना तथा लोगों को सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिये प्रयत्न करना।

(26) ऊपर लिखे हुए उद्देश्यों की पूर्त्ति के लिए अपने सदस्यों, अन्य व्यक्तियों, संस्थाओं तथा सरकार से पूँजी इकट्ठा करना।

(27) ऐसे सभी कार्य करना जिनसे ऊपर लिखे हुए उद्देश्यों की पूर्त्ति में सहायता मिले।

(28) सभी उद्देश्यों की पूर्त्ति के लिए कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत विशिष्ट स्थानों में शाखायें खोलना।

3. कार्यक्षेत्र – इस सोसायटी का कार्यक्षेत्र [illegible] पंचायत के निम्नलिखित ग्रामों तक सीमित होगा :–

1. [illegible] ग्राम
2. तुम्बापुर ''
3. बरगांव ''
4. [illegible]
5. [illegible]

परन्तु यह कि व्यवसायिक कार्यों के लिए समिति हेतु भौगोलिक सीमा का प्रतिबंध नहीं रहेगा।

4. इस सोसायटी का सम्बन्ध सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक स्टेट को–ऑपरेटिव फेडरेशन एवं अन्य संस्थाओं से रहेगा। समिति अपने वसूल किये गये हिस्से की पूंजी का 5 प्रतिशत सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक के हिस्से में लगावेगी।

5. सदस्यता –

(क) सदस्यता प्रत्येक व्यक्ति को जिसका चाल–चलन अच्छा हो, जिसका दिमाग ठीक हो, जो 18 वर्ष से अधिक उम्रवाला हो और जो सोसायटी के कार्यक्षेत्र में रहता हो, या स्थायी रूप से वहां व्यापार या कारबार करता हो या जमीन का मालिक हो या खेती करता हो, सदस्य बनाया जा सकता है। राज्य सरकार जो भी चाहे सीधी तौर से या स्टेट को–ऑपरेटिव बैंक और सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक के माध्यम से सदस्य हो सकती है। मरे हुए सदस्यों के नाबालिग उत्तराधिकारी भी सदस्य बन सकते है लेकिन उन्हें कर्ज केवल उनके अभिभावकों द्वारा ही दिया जा सकेगा। सरकार का प्रतिनिधित्व उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के द्वारा होगा। परन्तु यह कि समिति के जमाकर्त्ता एवं ऋण प्राप्त कर्त्ता एव ऋण प्राप्त कर्त्ता को अनिवार्य रूप से सदस्य बनाया जाएगा जिसे पूर्ण मताधिकार भी प्राप्त होगा।

(ख) स्वयं सहायता समूह एवं संयुक्त दायित्व (JLG) को भी सदस्य बनाया जा सकता है।

6. 1. सदस्यों का प्रवेश – नीचे लिखें व्यक्ति सोसायटी के सदस्य होंगे :–

(क) योग्य व्यक्ति जिन्होंने नाम दर्ज कराने के लिये दरखास्त पर हस्ताक्षर किया है।

(ख) वे व्यक्ति जो प्रबन्ध समिति द्वारा बाद में सदस्य के रूप में चुने जायेंगे।

(ग) वे व्यक्ति जो भूतपूर्व ऐसी समिति के सदस्य थे जिसे इस सोसायटी में मिला लिया गया हो।

प्रवेश चाहने वाले प्रत्येक व्यक्ति प्रबन्ध समिति के पास छपें फॉरम पर दरखास्त देंगे जो उचित जांच–पड़ताल के बाद उनकी दरखास्त को कारण बताते हुए मंजूर अथवा नामंजूर करेगी। प्रबंध समिति निर्णय होने के एक पखवारे के अन्दर आवेदक को निर्णय की सूचना दे देगी। नामंजूरी की अवस्था में ऐसे व्यक्ति को निर्णय के प्राप्ति के 60 दिनों के अन्दर निबंधक, सहयोग समितियों के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा, जिनका निर्णय अंतिम होगा।

2. कोई व्यक्ति सोसायटी के सदस्य होने के योग्य नहीं होगा यदि –

(क) वह अठारह वर्ष से कम उम्र का हो।

(ख) वह सोसायटी अथवा संबद्ध करनेवाली सोसायटी का वेतनभोगी कर्मचारी है।

(ग) वह पागल है।

(घ) उसने दिवालिया या शोधनाक्षम (ईनसोलभेंट) न्याय निर्णित होने के लिये आवेदन किया है या वह प्रमाणित दिवालिया या अनुत्मुक्त शोधनाक्षम (अनडिसचार्ज ईनसोलभेंट) है।

(ड़) उसे राजनीतिक अपराध को छोड़कर कोई दूसरे अपराध के लिए सजा हुई हो अथवा ऐसे अपराध के लिये सजा हुई हो जो नैतिक आचरण को अन्तर्ग्रस्त करती हो और वह सजा रद्द नहीं की गई हो या ऐसे अपराध क्षमा नहीं कर दिया गया हो। वह अयोग्यता सजा की समाप्ति से पाँच वर्षो से अधिक तक लागू नहीं होगी।

(च) स्वयं सहायता समूह एवं संयुक्त दायित्व समूह यदि भारत सरकार, राज्य सरकार एवं भारतीय स्टेट बैंक राष्ट्रीय बैंक के द्वारा काली सूची में डाल दिये जाने तथा किसी व्यवसायिक बैंक, सहकारी बैंक, किसी वित्त पोषण संस्था, नाबार्ड या किसी सहकारी समिति से प्राप्त ऋण का अदायगी में चूककर्ता होने पर सदस्यता के योग्य नहीं रहेंगे।

7. सदस्य होने के पहले प्रत्येक व्यक्ति को छपे हुए फॉर्म में लिखे इस आशय के एकरारनामें पर हस्ताक्षर करना होगा कि वह सोसायटी की वर्त्तमान उपविधियों तथा ऐसे नियमों की पाबन्दी रखेगा जिसे प्रबंध समिति आम–सभा की अनुमति से बनायेगी। वह व्यक्ति जो पहले ही से इसलिये सदस्य है कि उसने रजिस्ट्री की दरखास्त पर हस्ताक्षर किया है, उसको इस प्रकार के एकरारनामें पर हस्ताक्षर करना होगा। अगर वह सोसायटी की रजिस्ट्री होने के एक महीने के भीतर ऐसे एकरारनामें पर हस्ताक्षर से इन्कार करे तो उसे सदस्यता से निकाला जा सकेगा। बशर्ते कि वह निकाले जाने के बाद प्रबंध समिति द्वारा निर्धारित जुर्माना की रकम को दे दे तो उसे सदस्यता में पुनः भर्त्ती किया जा सकता है।

8. प्रत्येक सदस्य के लिये यह जरूरी होगा कि जब कभी जरूरत पड़े वह अपनी पूंजी और जिम्मेदारी का पूर्ण एवं सही बयान समिति को दे और यदि ऐसा बयान नहीं दे या कर्ज को छिपावे या इस तरह छिपाकर सोसायटी को हानि पहुंचाने के लिये दोषी पाया जाय तो उन पर 50 रूँ तक जुर्माना किया जा सकता है या सदस्यता से निकाल दिया जा सकता है।

9. सदस्यता का अधिकार :– प्रत्येक सदस्य को 1 रूपया प्रवेश शुल्क देना होगा। किसी भी सदस्य को उपविधि 8 के अनुसार एकरारनामे पर हस्ताक्षर किये, प्रवेश शुल्क दिये, कम–से–कम एक हिस्सा खरीदे और उसकी पूरी रकम किस्तों में, जिन्हें प्रबंध समिति निर्धारित की है हिस्से की पहली मांग दिये बिना सदस्यता का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। यह उपविधि राज्य सरकार पर लागू नहीं होगा।

10. नामजद करना :– सोसायटी का कोई भी सदस्य अपने हाथ से लिखकर किसी ऐसे आदमी को नामजद (सोसायटी के कर्मचारी या अफसर को छोड़कर) कर सकता है जिसे वह मृत्यु के बाद में सोसायटी से पावना दिया जा सके।

11. सदस्यता से हटाना :– कोई भी सदस्य जिसके जिम्मे सोसायटी का कोई कर्ज न हो और जो एक साल तक सदस्य रह चुका हो प्रबंध समिति को तीन महीने की सूचना देकर सदस्यता से हट सकता है। परन्तु इस तरह अलग होने से वह उस जिम्मेवारी से बरी नहीं हो सकता है जिसका उसने पहले–पहल एकरार किया हो।

12. सदस्यों का निकाला जाना :– (1) प्रबंध समिति खुले जांच–पड़ताल के बाद किसी सदस्य को नीचे लिखे कारणों से निलंबित कर सकती है या हटा सकती है :–

(क) सोसायटी की उपविधियों या नियमों को विशेष रूप से उल्लंघन करने पर।

(ख) उचित सूचना पाने पर भी सोसायटी का ऋण न देने पर।

(ग) किसी ऐसे व्यवहार पर जिसे सोसायटी की आर्थिक हालत कमजोर हो सकती है या उसकी बदनामी हो सकती है।

(2) प्रबंध समिति द्वारा हटाये गये सदस्य को हटाये जाने की आज्ञा प्राप्त होने की तारीख से तीन महीनें के अन्दर तक आम–सभा में अपील करने का अधिकार होगा। अपील आगामी आम–सभा के लिये अध्यक्ष के द्वारा रखी जायगी।

13. सदस्यता की समाप्ति :– नीचे लिखे कारणों से सदस्यता की समाप्ति होगी :–

(क) कम–से–कम एक हिस्सा भी नहीं रखने पर, या

(ख) सोसायटी के कार्यक्षेत्र से अपने कारबार को हटा लेने और सदस्यता की योग्यता खो देने पर, या

(ग) उपविधि 11 की धाराओं के अनुसार प्रबंध समिति को तीन महीनें की सूचना देकर हट जाने पर, या

(घ) उपविधि 12 के अनुसार हटाये जाने पर, या

(ड़) मर जाने पर, या

(च) किसी अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा दिवालिया अथवा पागल करार किये जाने पर, या

(छ) सोसायटी का वेतनभोगी कर्मचारी होन पर, या

(ज) रूल्स एवं ऐक्ट के अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार अयोग्य हो जाने पर।

14. कोष :– सोसायटी का कोष निम्नलिखित स्त्रोतों से इकट्ठा किया जा सकता है :–

(क) हिस्सापूँजी,

(ख) अर्थ–प्रबंधक बैंक से कर्ज लेकर और भारतीय रिर्जव बैंक और राज्य सहकारी अधिकोष के आदेश और निर्देशन के अन्तर्गत जमा लेकर,

(ग) सरकार और दूसरे जरियों जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, राष्ट्रीय सहयोग विकास निगम, आदिम जाति विकास एजेन्सी आदि से प्राप्त आर्थिक सहायता अनुदान या दान से,

(घ) सुरक्षित कोष एवं अन्य कोष, तथा

(ड़) सदस्यों से अपनी इच्छा से नगद सामान या श्रम के रूप में मिलें हुए विशेष अनुदान से।

15. कर्ज लेने की सीमा :– कर्ज एवं जमा पर सोसायटी को पूण्र बाह्य देन उसकी वसूल की हुई हिस्सा पूँजी एवं सुरक्षित कोष (रिजर्व फंड) के पन्द्रह गुणा से अधिक नहीं होगी। किन्तु यह सीमा भारतीय रिर्जव बैंक की अनुमति से बढ़ाई जा सकती है।

16. कोष की अभिरक्षा :– भारतीय रिर्जव बैंक द्वारा प्रशासित आदेशों के अन्तर्गत प्रबंध समिति द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन सदस्य–सचिव के पास सोसायटी का कोष रहेगा।

17. कोष को काम में लगाना :– कारबार में नहीं लगाये गये सोसायटी के कोष को निम्नलिखित रूप में जमा किया जा सकता है :–

(क) पोस्टल सेविंग्स बैंक में या सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक में,

(ख) इंडियन ट्रस्ट ऐक्ट की धारा 20 में विशेष रूप से वर्णित किसी भी जमा में,

(ग) निबंधक, सहयोग समितियाँ की पूर्व स्वीकृति से किसी भी को–ऑपरेटिव बैंक या समिति के हिस्से में,

(घ) भारतीय रिर्जव बैंक की आज्ञा से किसी अन्य रूप में।

18. हिस्सा :– सोसायटी की अधिकृत हिस्सा पूंजी 2500000 हिस्सों की होगी। प्रत्येक हिस्सा का मूल्य 100 (सौ) रूपये होंगे। सदस्य को हिस्से की कीमत प्रबंध समिति द्वारा निश्चित रूप से एक मुश्त या किस्तों में देनी पड़ेगी। प्रबंध समिति किस्तों को अदा करने के लिए समय की बढ़ोतरी कर सकती है। कोई भी सदस्य बेचे गये हिस्से के 1/5 से अधिक अथवा एक हजार रूपये दोनों में जो भी कम हो, के हिस्से को नहीं खरीद सकता है। राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त हिस्सापूंजी के 25% तक हिस्से का क्रय कर सकती है।

19. आम–सभा के पूर्ण स्वीकृति के बिना प्रबन्ध समिति के सदस्य को उप–विधि 18 के अनुसार समय नही बढ़ाया जायगा।

20. हिस्से का प्रमाण–पत्र :– प्रत्येक सदस्य को सोसायटी का मोहर लगा हुआ एक प्रमाण–पत्र प्राप्त करने का अधिकार होगा जिसमें उनके खरीदे हुए हिस्से का विशेष रूप से वर्णन रहेगा। यदि प्रमाण–पत्र खो जाय या फट जाय तो एक रूपये शुल्क देने पर फिर से प्रमाण–पत्र दिया जायगा।

21. जिन सदस्यों के जिम्मे हिस्से की किस्तों का रूपया बाकी होगा वे आम–सभा या प्रबंध समिति की सभा में वोट देने के अधिकारी नहीं होंगे, उन्हे कर्ज नहीं दिया जायगा तथा वे खरीद–बिक्री के कार्यो में भाग ले सकेंगे। दी गई तीन महीने की सूचना के अन्दर यदि कोई सदस्य किस्त नहीं चुकायेगा तो उसे सोसायटी से निकाल दिया जायगा और हिस्से की मद में किये गये भुगतान जब्त कर लिए जायेंगे और वह रकम रक्षित कोष (रिजर्व फंड) में मिला दी जायगी। वे सदस्य जो दूसरे चन्दों के भुगतान में लगातार तीन महीने अधिक देर करेंगे उन्हें सोसायटी से निकाल दिया जायगा। यदि प्रबन्ध समिति समय की बढ़ती न दें।

22. (क) हिस्सों का हस्तांतरण या वापसी :– कोई भी सदस्य तब तक अपना हिस्सा हस्तांतरित नहीं कर सकता है जब तक कि –

(1) वह कम–से–कम ऐसे हिस्से का एक वर्ष तक मालिक न रहा हो, तथा

(2) जिस व्यक्ति को हस्तान्तरण करना हो वह प्रबन्ध समिति द्वारा स्वीकृत नहीं।

(ख) उप–विधि 13 के अन्तर्गत सदस्यता की समाप्ति होने पर सदस्य का हिस्सा या हिस्से का निस्तार झारखण्ड सहकारिता अधिनियम, 1935 तथा उसके अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार किया जायगा।

23. उत्तरदायित्व :– सोसायटी के कार्यों के लिए सदस्य की जिम्मेदारी उसके अपने हिस्से के नामनेहादी मूल्य के पांच गुणे तक सीमित रहेगी और यह झारखण्ड सहकारिता अधिनियम, 1935 के द्वारा स्थापित उपबंध अनुसार लागू होगी।

24. आम–सभा :– (1) सोसायटी का सर्वोच्च अधिकार पिछले 30 जून तक बने सदस्यों की आम–सभा में निहित होगा। आम–सभा चार प्रकार की होगी :–

(क) साधारण (वार्षिक) आम सभा
(ख) असाधारण आम सभा
(ग) विशेष आम सभा
(घ) विशेष सभा

साधारण आम–सभा :– सहकारी साल के समाप्त होने के छः महीने के भीतर प्रत्येक वर्ष साधारण (वार्षिक) आम–सभा की बैठक सदस्य–सचिव द्वारा बुलाई जायगी। ऐसी हालत में जब कि वार्षिक आम–सभा के बुलाई जाने की निश्चित तिथि के पहले तक की स्टेच्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट बैलेंस शीट के साथ ऑडिटर के द्वारा प्रमाणित नहीं किया हो तो मुनाफे की बात छोड़कर साधारण आम–सभा के सभी कार्य जैसा कि उप–विधि 25 में दिया गया है और सभा में कर लिये जायेंगे। तब मुनाफे और ऑडिट रिपोर्ट के उपर विचार असाधारण आम–सभा में जो इसीलिए बुलाई जायगी या आगामी वार्षिक आम–सभा में होगा।

असाधारण आम–सभा :– असाधारण आम–सभा प्रबंध समिति के द्वारा किसी भी समय बुलाई जा सकती है या एक–तिहाई सदस्यों के द्वारा आग्रही पत्र पर हस्ताक्षर करने की तारीख से एक महीने के भीतर बुलाई जा सकती है।

विशेष आम–सभा :– विशेष आम–सभा निबंधक या उससे अधिकार प्राप्त अफसरों के द्वारा लिखित आग्रह–पत्र देने पर सोसायटी के प्रधान कार्यालय में आग्रह पर लिखित स्थान और समय में बुलाई जा सकती है। निबंधक अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति की आज्ञा प्राप्ति के 21 दिनों के अन्दर सचिव विशेष आम–सभा बुलाने को बाध्य होंगे। यदि सचिव विशेष आम–सभा नहीं बुलावें तो निबंधक अथवा अधिकृत व्यक्ति सदस्यों को 15 दिनों की सूचना देकर खुद सभा बुला सकते है। ऐसी विशेष आम–सभा को आम–सभा के सभी अधिकार प्राप्त होंगे। परन्तु यह कि जिस विशेष आम सभा में निर्वाचन होगा उस सभा में निर्वाचन के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं होगा।

(2) कोरम :– कुल सदस्यों की 1/5 संख्या आम–सभाओं के लिये कोरम की संख्या होगी। यदि सभा असाधारण आम–सभा रहे तो समिति के 1/5 सदस्यों की मांग पर बुलाई गई हो और कोरम की संख्या निश्चित समय के एक घंटा के अन्दर पूरी न हो सके तो अध्यक्ष उसे विघटित कर देंगे। यदि यह एक साधारण आम–सभा या विशेष आम–सभा है तो उसे कम–से–कम सात दिनों और अधिक–से–अधिक 21 दिनों तक स्थगित कर देंगे। इस प्रकार की स्थगित सभाओं के सभी कार्यक्रम वे ही रहेंगे जो पहली सभा के होंगे और उनमें कोई हेर–फेर नहीं किया जायगा। अगर इस प्रकार की स्थगित सभा में भी कोरम की संख्या पूरी न हो तो कोई भी प्रस्ताव उपस्थित सदस्यों की तीन–चौथाई संख्या से पास होगा।

(3) मताधिकार :– समिति के प्रत्येक सदस्य को केवल एक वोट होगा। दूसरे के लिए वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा। दोनों पक्षों में बराबर वोट हो जाने की अवस्था में अध्यक्ष को एक निर्णायक वोट देने का अधिकार होगा। सभी प्रश्नों के निर्णय के लिये बहुमत मान्य होगा। स्वय सहायता समूह अथवा संयुक्त दायित्व समूह के द्वारा चयनित व्यक्ति उनकी ओर से मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

(4) आम–सभा के लिए सूचना :– किसी भी आम–सभा के लिए 15 दिनों की सूचना दी जाएगी। सूचना–पत्र में सभा का समय और स्थान साफ तौर से लिखा रहेगा।

25. साधारण आम–सभाओं के कार्य :– आम–सभा समिति के कारबार के ऊपर और विशेष रूप से प्रबंध समिति के कामों के ऊपर निगरानी रखेगी और सोसायटी के हक में फायदेमंद होनेवाले सभी लोगों को करने में योग्य होगा।

आम सभा के नीचे लिखे कार्य होंगे :–

(1) सभा के लिए अध्यक्ष चुनना,
(2) उप–विधि 27 के अनुसार प्रबंध समिति के सदस्यों को चुनना जो आगामी आम–सभा तक के लिये पद पर रहेंगे,
(3) वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट, बैलेंस शीट और प्रबंध समिति की रिपोर्ट पर विचार करना,
(4) ऐक्ट, नियमों और उप–विधियों के अनुसार नफा के बंटवारे पर विचार करना,

(5) सोसायटी की तरफ से प्रबंध समिति द्वारा अधिक–से–अधिक उत्तरदायित्व प्राप्त करने की सीमा निश्चित करना,

(6) प्रबंध समिति द्वारा अनुमोदित वार्षिक आय–व्यय, लाभ–हानि एवं आर्थिक चिट्ठे को मंजूर करना,

(7) सदस्यों को ऋण के रूप में दिये जानेवाली रकम पर सूद की दर निश्चित करना,

(8) जमा पर सूद की दर निश्चित करना,

(9) बकायों पर दंड की दर निश्चित करना,

(10) उप–विधि संख्या 61 के अन्तर्गत उप–विधियों का संशोधन करना,

(11) सभा के चेयरमैन से आज्ञा लेकर अन्य कार्यो को करना,

(12) संबद्ध संस्थाओं के लिये समिति का डेलिगेट का चुनाव करना।

26. आम–सभा की कार्यवाहियाँ:– सोसायटी के पास एक कार्यवाही पुस्तिका रहेगी जिसमें सभी आम–सभाओं की कार्यवाहियों को लिखा जायगा। कार्यवाही पुस्तिका में उपस्थित सदस्यों तथा दूसरे उपस्थित व्यक्तियों के नाम रहेंगे और उस पर सभा के अध्यक्ष का हस्ताक्षर रहेगा।

27. प्रबंध समिति :– (1) प्रबंध समिति सोसायटी का ठीक व्यवस्था के लिये उत्तरदायी होगी।

(2) आम–सभा द्वारा निर्वाचित प्रबंध समिति के कुल 11 सदस्य होंगे। निर्वाचित सदस्यों में से कम–से–कम चार अनुसूचित जनजाति के होंगे। अध्यक्ष निर्वाचित अनुसूचित जनजाति सदस्यों में से ही आम–सभा द्वारा चुने जायेंगे। समिति द्वारा मुख्य कार्यकारी की नियुक्ति निबंधक द्वारा निर्धारित मानदण्ड अनुसार समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी।

(3) प्रबंध समिति में कोई कारणवश खाली होनेवाली जगहों को प्रबंध समिति अगले आम चुनाव तक के लिये भर सकती है।

28. (क) यदि प्रबंध समिति का निर्वाचित सदस्य सोसायटी की सदस्यता से हट जाय, सोसायटी के किस्त खिलाफी होने पर अथवा लगातार तीन सभाओं में उपस्थित न हों तो समिति आगामी आम–चुनाव तक के लिये सदस्य के बीच से वैसे सदस्य के बदले किसी सदस्य को नियुक्त कर लेगी।

(ख) कोई व्यक्ति प्रबंध समिति का सदस्य निर्वाचित होने योग्य नहीं होगा, यदि

(1) वह सोसायटी का सदस्य नहीं है, अथवा

(2) वह सोसायटी के ऋण या दूसरे तरह के पावना का उप–विधियों में विहित अवधि के तीन मास से अधिक के लिये बाकीदार हो या चुनाव के दिन किसी भी दूसरी निबंधित सोसायटी का किस्त खिलाफी हो, अथवा

(3) उसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में समिति के साथ चालू ठीका या सोसायटी द्वारा बेची या खरीदी जानेवाली किसी जायदाद या किसी लेन–देन में सोसायटी में धन लगाने, उससे कर्ज लेने को छोड़कर, हित हो अथवा

(4) उसके विरूद्ध अधिभार (सरचार्ज) की कार्यवाही या सोसायटी के किसी लेन–देन सबधी जांच लंबित हो अथवा

(5) वह सम्बद्धक समिति का बकाएदार हो।

(ग) प्रबंध समिति के निर्वाचित सदस्य समिति के सदस्य नहीं रह सकेंगे, यदि –

(1) वे सोसायटी के सदस्य नहीं रह जाते हो, अथवा

(2) उनमें उप–विधि 6 (2) एवं 28 (ख) में दी गई अयोग्यता में से कोई भी अयोग्यता आ जाये।

29. प्रबंध समिति के सदस्यों का निर्वाचन सोसायटी के सम्पूर्ण क्षेत्र को छः जोन में विभाजित किया जायगा एवं प्रत्येक जोन से दस–दस निर्वाचित प्रतिनिधि आम–सभा में भाग लेंगे। इन प्रतिनिधियों में से बहुमत प्राप्त कर निर्वाचित सदस्य होंगे जिनमें कम–से–कम चार आदिवासी होंगे। नियमावली के अन्तर्गत सोसायटी को यह अधिकार रहेगा कि निर्वाचन संबंधी नियम झारखण्ड सहकारी समितियों नियमावली 1959 की धारा 21 होगी।

30. अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्त्तव्य :–

(क) उपस्थित रहने पर अध्यक्ष सोसायटी की सभी तरह की बैठक का सभापतित्व करेंगे।

(ख) ये अपना, सदस्य–सचिव एवं अन्य कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का भ्रमण विपत्रा पारित करेंगे।

(ग) सोसायटी के सभी कार्यो पर साधारण नियंत्रण रहेगा।

31. प्रबंध समिति की सभा जब कभी भी आवश्यकता होगी, हो सकती है परन्तु महीने में कम–से–कम एक बार अवश्य होगी। छः सदस्यों का कोरम होगा। सदस्य–सचिव समिति की सभा बुलायेंगे और यदि वे नहीं बुलायेंगे तो अध्यक्ष को समिति की सभा बुलाने का अधिकार होगा।

32. अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों के द्वारा चुने गये कोई अन्य सदस्य प्रबंध समिति की सभाओं में अध्यक्ष का काम करेंगे।

33. प्रबंध समिति में सभी बातें बहुमत से निश्चित की जायेंगी। अध्यक्ष पद पर रहने वाले व्यक्ति को दोनों पक्षों में बराबर वोट होने की अवस्था में एक निर्णायक वोट देने का अधिकार होगा। कोई उस काम के लिए वोट नहीं दे सकता है जिस काम से उनका अपना संबंध है।

34. प्रबंध समिति के अधिकार और कर्त्तव्य :– प्रबंध समिति के नीचे लिखें कार्य होंगे :–

(1) सदस्यता और हिस्से की मंजूरी के लिए दी गई दरखास्त पर विचार करना;

(2) बुरे तथा ऋणी सदस्यों के हटाये जाने के प्रश्न पर विचार करना;

(3) सदस्यों के इस्तीफे पर विचार करना;

(4) कानून, नियमों और इन उप–विधियों के अनुसार विगत सदस्यों की हिस्सा पूंजी को वापस करने पर विचार करना;

(5) सोसायटी के सर्वांगीण विकास के लिये भिन्न–भिन्न कार्यो जो सोसायटी करना चाहे उसके लिए आवश्यकतानुसार कतिपय उप–समितियों का गठन करना;

(6) सदस्यों को दिये जानेवाले ऋण की सीमा निश्चित करना;

(7) विनिन्न फसलों के खेतों का क्षेत्रफल निर्धारित करना और फसलों के आधार पर सदस्यों के ऋण लेने की सीमा निश्चित करना;

(8) सदस्यों की फसलों की खोज–खबर लेना और उपज का अनुमान लगाना जिसे वे समिति के द्वारा बेचेंगे;

(9) सोसायटी के द्वारा बेचे जानेवाले सदस्यों की पैदावार, सफाई, हटाया जाना, वर्गीकरण, खरीद, बोराबन्दी और यातायात का प्रबंध करना;

(10) इन उप–विधियों के अनुसार सदस्यों की पैदावार पर एडवान्स देना;

(11) औजार और मशीनों के खरीदने या भाड़े पर लेने का प्रबन्ध करना और खाद, उर्वरक, बीज और दूसरी जरूरी चीजों की आपूर्ति करना;

(12) पैदावार को ठीक से इकट्ठा करने का प्रबन्ध करना और व्यापारिक सूचनाओं का प्रसार करना;

(13) सदस्यों की पैदावार को बेचने के लिये उनसे ली जानेवाली कमीशन की दर और अन्य चीजों को निश्चित करना;

(14) सोसायटी की तरफ से प्राप्त या चुकाये गये सभी रूप में स्टोरों, स्टॉक और जायदादों की प्राप्ति तथा उनकी खपत का प्रबंध करना;

(15) सदस्यों के ऋण के लिये दरखास्त लेना और सदस्यों को उचित आवश्यकता एवं जिस उद्देश्य के लिये ऋण लिया जा रहा है उसकी साख योग्यता को देखते हुए उसे मंजूर करना;

(16) सदस्यो द्वारा लिये गये ऋण को चुकाने के लिये किस्त निश्चित करना;

(17) सोसायटी के कारबारों के संबंध में सोसायटी या सोसायटी के अफसरों द्वारा या विरोध में लगाये गये सभी दावें या वैध कार्यवाहियों को कानूनी रूप देना, आगे बढ़ाना, सुलह करना या त्याग देना;

(18) निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा समय–समय पर प्रसारित मानदण्ड के अनुसार वैतनिक कर्मचारियों को नियुक्त करना, निलम्बित करना, दंड देना या बर्खास्त करना;

(19) को–ऑपरेटिव डिपार्टमेंट के अफसरों एवं अर्थ प्रबंधक बैंक द्वारा समिति इन्सपेक्शन और ऑडिट नोट्स पर विचार करना;

(20) सदस्य–सचिव एवं शाखा प्रभारी के द्वारा रखे जाने वाले दैनिक कैश बैलेंस की सीमा निश्चित करना;

(21) वार्षिक बजट स्वीकृत करना;

(22) कारबार संबंधी नियमों को बनाना, अगर प्रबन्ध समिति कारबार संबंधी नियम बनाने से चूक जाती है तो व्यवसाय विकास योजना हेतु गठित जिला स्तरीय मॉनिटरिंग कमिटी कारगर संबंधी नियम बनवाएगी तथा यह कि इस मद में होने वाला व्यय का वहन समिति करेगी।

(23) साधारण सोसायटी के कारबार करना;

(24) अर्थ बैंक, राज्य सरकार एवं अन्य संस्थाओं से ऋण एवं अनुदान प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान करना;

(25) सोसायटी का वार्षिक आय–व्यय, लाभ–हानि, वार्षिक प्रतिवेदन, आर्थिक चिट्ठे एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन अनुमोदित कर आम सभा में प्रस्तुत करना;

(26) बैंकों में सोसायटी का खाता खोलना एवं उससे राशि निकालने के लिये अधिकृत करना।

35. सोसायटी के कारबार में प्रबंध समिति साधारण व्यापारी की तरह दूरदर्शिता और तत्परता से काम लेगी। को–ऑपरेटिव सोसायटीज ऐक्ट उसके अन्तर्गत बने नियम और इन उप–विधियों के विपरीत किये गये किसी भी कार्य के लिये जिससे नुकसान हो, प्रबन्ध समिति दायी होगी।

36. प्रबंध समिति की सभाओं की कार्यवाही पुस्तिका :– सभा में किये गये समस्त कार्य मुख्य कार्यकारी के पास रहनेवाली कार्यवाही पुस्तिका में लिखें जायेंगे और उस पर अध्यक्ष को लेकर सभा में उपस्थित प्रबंध समिति के सभी सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर किया जायगा। रूपये से संबंध रखने वाले सभी कार्यो के प्रस्ताव पर पक्ष या विपक्ष में पड़नेवाले प्रत्येक सदस्य का मत लिखा जायगा।

37. सदस्य सचिव एवं उनके अधिकार होंगे :– समिति में एक पूर्णकालिक वैतनिक प्रबंधक होगा जो सदस्य सचिव कहलाएगा। इसकी नियुक्ति स्थापित मापदण्ड के आलोक में समिति द्वारा की जाएगी, उसके अधिकार निम्न रहेंगे :–

(क) सभी प्रबंध समिति की सामग्री को बुलाना तथा उनमें उपस्थित रहना;

(ख) कार्यवाही पुस्तिका में सभी कार्यवाहियों को लिखना,

(ग) जो सीमा प्रबंध समिति द्वारा निर्धारित हो उसके अन्दर रूपया प्राप्त करना और खर्च करना,

(घ) रूल्स के अनुसार सभी हिसाब और बहियां रखना,

(च) रसीद, भाउचर्स, बैलेंस शीट और अन्य कागजों जो सोसायटी के कार्य संपादन के लिए आवश्यक हों, बनाना

(छ) पत्र व्यवहार करना और सोसायटी के सदस्यों को आवश्यक सूचनाएँ देना;

(ज) प्रबंध समिति के सामने ऑडिट नोट उनके विचार हेतु रखना और ऑडिट प्रतिवेदन में दिये गये गड़बड़ियों को सुधारना;

(झ) सोसायटी के अध्यक्ष के नियंत्रण के अन्तर्गत सभी वैतनिक कर्मचारियों के कार्यो पर निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण रखना,

(ट) प्रबंध समिति के निदेशानुसार या उसके प्रतिबन्ध सीमा के अन्तर्गत मुख्य कार्यकारी सोसायटी के व्यावसायिक तथा अन्य कार्यकलापों से संबंधित (प्रोमेसरी नोट्स, सहकारी ऐण्ड अदर सिक्युरिटी) की खरीदगी, बिक्री विनियोग, जमानत पर रखना तथा हस्तांतरित करने में या उन सभी कागजातों पर सोसायटी के पक्ष से हस्ताक्षर करने में सक्षम होंगे एवं सोसायटी की तरफ से अधिकोष खाताओं का ऑपरेट करेंगे। इसके अतिरिक्त सोसायटी के पक्ष से सभी तरह के आगतों को प्राप्त करेंगे,

(ठ) सोसायटी के पक्ष मे मुख्य कार्यकारी सभी तरह के बंध–पत्रों तथा अन्य दलील पत्रों पर समिति एवं उनके पद मुहरों के साथ हस्ताक्षर करेंगे तथा सोसायटी के पक्ष में सदस्य–सचिव को ही सू एवं सूड किया जायेगा,

(ड) हिस्से के प्रमाण–पत्रों पर अध्यक्ष के साथ हस्ताक्षर करना,

(ढ) प्रबंध समिति द्वारा निर्धारित सीमा के अन्तर्गत आकस्मिक खर्च (कंटिन्जेंट एक्सपेण्डियर) करना,

(ण) प्रबंध समिति एवं अध्यक्ष द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य करना। मुख्य कार्यकारी की अनुपस्थिति में प्रबंध समिति मुख्य कार्यकारी के कर्त्तव्यों को करने के लिये किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है,

(त) किस्त खिलाफी ऋणों मे किये गये वसूली की प्रगति प्रतिवेदन तैयार करेंगे एवं उनकी समीक्षा करने के पश्चात् वसूली हेतु उनके उपर मुकदमा चलाने का प्रस्ताव प्रबन्ध समिति के समक्ष उपस्थापित करेंगे,

(थ) मुख्य कार्यकारी सदस्यों के ऋण आवेदन–पत्रों की समीक्षा के उपरान्त अपने सिफारिशों के साथ प्रबंध समिति या ऋण उप–समिति के समक्ष विचार एवं स्वीकृति हेतु उपस्थापित करेंगे।

38. पदाधिकारियों को भत्ता और पारिश्रमिक :– आम–सभा भारतीय रिर्जव बैंक के परामर्शानुसार प्रबन्ध समिति के सदस्यों को सोसायटी का कार्य करने के लिए भत्ता दे सकती है।

39. ऋण :– (क) साधारण कर्ज सदस्यों को उत्पादन के कार्यों में लगाने के लिये दिया जायगा। अगर कर्ज वर्णित कार्यों में नहीं लगाया गया हो, तो प्रबन्ध समिति सम्पूर्ण कर्ज को वापस ले सकती है। कर्ज केवल संयुक्त परिवार के कर्त्ता को ही दिया जायगा।

(ख) नियमावली 39 (क) के अतिरिक्त सदस्यों को उपभोग ऋण भी दिया जायगा। इस ऋण की अधिकतम राशि 100 रूपया या विभागीय निदेशानुसार प्रति सदस्य होगी एवं उसकी वसूली सदस्यों के छोटे वनोत्पादन वस्तुओं से किया जायगा। जहां तक संभव हो, उपभोग ऋण को उत्पादन ऋण से संबद्ध कर रखा जायगा।

(ग) प्रत्येक वर्ष स्वीकृत उत्पादन कर्ज सदस्यों को भुगतान करते समय तीन प्रतिशत काट कर उनके हिस्सा पूंजी में जमा रखा जायगा। इसके अतिरिक्त सोसायटी के माध्यम से सदस्यों द्वारा उनके छोटे वनोत्पन्न वस्तुओं को कुल विक्रय रकम से एक प्रतिशत के दर से काट कर संबंधित सदस्य की हिस्सा पूंजी खाताओं में जमा कर रखा जायगा। सदस्यों की अधिकतम ऋण सीमा उनके हिस्सा पूंजी का 10 गुणा होगा।

(घ) कुल वितरित ऋण का .... प्रतिशत आदिवासी सदस्यों के लिये होगा।

40. कर्ज देने के समय भारतीय रिर्जव बैंक या झारखण्ड स्टेट को–ऑपरेटिव बैंक के द्वारा समय–समय पर निर्धारित नियमों का पालन किया जायगा।

41. दरखास्त में जिस प्रयोजन के लिये कर्ज लिया जा रहा है, वह ठीक–ठीक और स्पष्ट से लिखा रहेगा।

42. कर्ज की वसूली की किस्त कर्ज मंजूर करने के समय ही जिस काम के लिये कर्ज लिया जाता है उस पर विचार करते हुए निश्चित कर दी जायगी।

43. भारतीय रिर्जव बैंक या झारखण्ड स्टेट को–ऑपरेटिव बैंक द्वारा समय–समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार आम–सभा के द्वारा सदस्यों द्वारा कर्ज पर सूद की दर निश्चित की जायेगी। सूद का हिसाब प्रतिवर्ष एक बार किया जायगा।

44. प्रबंध समिति विशेष अवस्थाओं में आम तौर पर जमानतदारों के विचार से किस्त देने की अवधि को बढ़ा सकता है।

45. आम–सभा उन बकाये किस्तों पर जिनकी अवधि समाप्त हो चुकी है, दंडनीय सूद का दर लगाने की अनुमति दे सकती हैं, बशर्ते कि कुल सूद की दर जिसमें दंड ब्याज की दर भी मिली हो, वार्षिक साढ़े बारह प्रतिशत से अधिक नहीं हो।

46. प्रबंध समिति सदस्यों की खेती की पैदावार, छोटे वनोत्पादन वस्तुओं तथा तैयार माल को नीचे लिखे तरीकों से बेचने का प्रबन्ध कर सकती है :–

(क) आउटराइटर परचेज सिस्टम :– इस तरीके के अन्दर सोसायटी सदस्यों के पैदावार को गांवों में खरीद सकती है, इसकी सफाई, वर्गीकरण और यातायात का प्रबंध कर सकती है और इसे अपनी जिम्मेवारी पर बेच सकती है। व्यक्तिगत सदस्य इस प्रकार के कारबार में जो नफा या नुकसान होगा उसके भागी नहीं होंगे।

(ख) सेल और कमीशन :– इस तरीके के अन्दर सदस्यगण अपनी पैदावार को या तो अपने या सोसायटी के गोदामों में जमा कर सकते है। सोसायटी अपने पास माल का नमूना रखेगी और सदस्यों के आदेशानुसार उसे बेच देगी। माल का भाव घटने–बढ़ने से सोसायटी को कोई ताल्लूक नहीं रहेगा और सोसायटी सदस्यों से कमीशन और अन्य खर्च वसूल करेगी।

(ग) प्लेजिंग सिस्टम :– इस तरीके के अन्तर्गत सदस्यगण अपनी उपज सोसायटी के गोदामों में रखेंगे और उसकी जमानत पर उन्हें कीमत के 75 फीसदी या किसी कम सीमा तक, जैसा रजिस्ट्रार निर्धारित करेंगे, अग्रिम मिल सकेगा जो पैदावार की जमानत पर किया जायगा तथा उसकी अदायगी सदस्यों को साधारणतः देने की तारीख से छः महीने के अन्दर करनी होगी। किन्तु विशेष हालतों में समिति अदायगी के लिए इसे अधिक समय भी दे सकती है। अगर किसी पैदावार की कीमत जिसे सदस्य ने बंधक रखा है, 10 प्रतिशत या इससे अधिक गिर जाय तो सोसायटी सदस्यों को कुछ कर्ज वापस करने या अधिक जमानत देने के लिए बाध्य कर सकती है। अगर सदस्य इन दोनों में से कोई भी बात न करें तो समिति को अधिकार होगा कि सदस्य को सूचना देकर रखी गयी पैदावार बेच दे। ऐसी अवस्था में जो

कीमत वसूल होगी उसमें से सोसायटी कमीशन, गोदाम भाड़ा और कर्ज का रूपया सूद के साथ क लेगी, जो रकम बचेगी उसे सदस्य को लौटा दिया जायगा।

47. अगर कोई सदस्य सोसायटी से अलग कर दिया जाय तो उसे कर्ज की शर्त्त पर ध्यान दिये बिना ही सोसायटी का कुल बकाया चूका देना होगा।

48. सोसायटी के द्वारा किसी फसल के बेचे जाने की अवस्था में सोसायटी प्रत्येक सदस्य के द्वारा बोयी गयी फसल के खेत के क्षेत्राफल की अनुमानित उपज और सोसायटी के द्वारा बेचे जाने वाले माल की तायदाद के साथ एक स्टेटमेंट तैयार करेगी।

49. किसी सदस्य की पैदावार बेचने से जो कीमत वसूल होगी उसमें से सोसायटी उस रकम को काट लेगी जो उसे मिलना उचित है।

50. <u>खरीद और बिक्री</u> :– सभी बिक्री केवल नगद में होगी एवं गैर–सदस्य के हाथ भी हो सकती है।

51. वस्तुओं के गुण या कीमत के लिये या सोसायटी के पदाधिकारी के आचरण के विरूद्ध की गयी सभी शिकायतें प्रबंध समिति के सदस्यों के सामने पेश की जायगी।

52. <u>निश्चित जमा (फिक्सड् डिपोजिट)</u> :– सोसायटी भारतीय रिर्जव बैंक या झारखण्ड स्टेट को–ऑपरेटिव बैंक के द्वारा समय–समय पर बनाये गये नियमों के अनुसार साधारण आम सभा निश्चित की गयी सूद पर फिक्सड् और सेंविंग्स बैंक डिपोजिट ले सकती है।

53. <u>खाता–बही और लेखा</u> :– सोसायटी के द्वारा निम्नलिखित खाता–बही और लेखा–बही रखी जायगी :–

(क) हिस्सा खरीदने वाले सदस्यों की खाता–बही

(ख) कैश बुक

(ग) कर्जा–बही

(घ) कार्यवाही पुस्तिका

(च) जमा–बही

(छ) सदस्यों की हैसियत बही

(ज) सहकारिता विभाग, भारतीय रिर्जव बैंक एवं केन्द्रीय सहकारिता बैंक द्वारा समय–समय पर विहित की गयी कोई अन्य बही।

54. सोसायटी की बहियां केवल जमा (डिपोजिट) बही को छोड़कर सर्वदा दैनिक कार्यकाल के अन्दर सदस्यों की देखने के लिए उपलब्ध हो सकेगी बशर्त्ते कि सदस्य केवल अपने नाम की जमा को जमा–बही में देख सकते है।

55. सब सभी कागजातों पर, जिसमें सोसायटी पर लगाये गये चार्जो और प्रतिबन्धों का वर्णन रहेगा, अध्यक्ष और सदस्य–सचिव या इन दोनों में किसी एक की अनुपस्थिति में प्रबंध समिति के कोई एक सदस्य हस्ताक्षर करेंगे।

56. सोसायटी के पास एक आम मोहर होगी जो सदस्य–सचिव की देख–रेख में रहेगी।

57. प्रतिवर्ष 31 मार्च को सोसायटी का आर्थिक वर्ष समाप्त होगा और शुद्ध लाभ में से जो ऑडिट के द्वारा प्रमाणित होगा कम–से–कम 35 प्रतिशत रक्षित कोष (रिजर्व फंड) में तथा निबंधक द्वारा नियत परिमाण में अशोध ऋण कोष (बैड डेट फंड) में देने के बाद जो बचेगा वह निम्नलिखित प्रकार से बांटा जायगा :–

(क) लाभांश जो 6 प्रतिशत से अधिक न होगा, हिस्सों के चुकाये गये मूल्य पर किया जायगा।

(ख) कर्मचारियों को बोनस जो एक महीने के वेतन से अधिक नहीं होगा।

(ग) सदस्यों द्वारा सोसायटी से लिये गये कर्ज पर सूद में सोसायटी द्वारा खरीदें गये माल की कीमत में तथा सोसायटी द्वारा बेचे गये माल की कीमत पर दी जाने वाली प्रीमियम में छूट अथवा प्रीमियम जो घोषित की जायेगी तब तक सदस्य को नहीं मिल सकेगी जब तक कि उनके जिम्मे पहले का कुछ पावना बाकी हो। यह रकम उसके बकाया में मिन्हा (Deduct) की जायगी।

(घ) इन उप–विधियों के अनुसार सोसायटी, पदाधिकारी या कर्मचारी को पारिश्रमिक देना।

(च) रिस्क फंड एवं प्राइस फ्लक्चूयेशन फंड में।

(छ) बचे हुए रूपये का अधिक–से–अधिक 10 प्रतिशत साधारण भलाई के कोष में।

(ज) अगर शेष बचेगा तो वह अगले वर्ष के लिए रख दिया जायगा। हिस्सों पर लाभांश, रिबेट या प्रिमियम यदि एक वर्ष के भीतर समिति से नहीं ले लिया जाता है तो वे सदस्य के खाते में जमा कर दिये जायेंगे।

58. <u>रक्षित कोष (रिजर्व फण्ड)</u> :–

(1) रक्षित कोष (रिजर्व फण्ड) इन सबों को मिलाकर बनेगा :–

(क) ऐक्ट के अधीन प्रतिवर्ष शुद्ध लाभ का 35 प्रतिशत रक्षित कोष (रिजर्व फण्ड) में जायगा।
(ख) लाभ से या किसी अन्य प्रकार से इस फण्ड में जानेवाली रकम से।
(ग) सोसायटी की रजिस्ट्री की तारीख से तीन वर्षो के भीतर एक प्रारम्भिक खर्चो को काट कर सभी प्रवेश–शुल्क से।
(घ) सोसायटी के द्वारा जब्त किये गये हिस्सों के मूल्य से।

(2) रक्षित कोष (रिजर्व फण्ड) सोसायटी का होगा और सदस्यों में बाँटा नहीं जायगा।

(3) रक्षित कोष (रिजर्व फण्ड) निम्नलिखित किसी भी कार्य के हेतु उपलब्ध हो सकेगा :–
(क) किसी भी परोक्ष घटना के कारण जो कमी होगी उसे पूरा करने में और इससे जो कमी होगी वह यथाशीघ्र पूर्ति कर दी जायगी।
(ख) सोसायटी के किसी ऐसे कार्य के लिये जिसकी पूर्ति अन्य तरह से नहीं हो सकती है उससे जो कमी होगी वह जल्दी पूरी कर दी जायगी।
(ग) सोसायटी के किसी कर्ज के हेतु जमानत के काम में।
(घ) भारतीय रिर्जव बैंक द्वारा यथा निदेशित।

(4) सोसायटी के विघटित हो जाने की अवस्था में रक्षित कोष (रिजर्व फण्ड) उन कार्यो में लगाया जायगा जैसा उसी उद्देश्य से बुलाई गई विशेष सभा के बहुमत से निर्धारित होकर रजिस्ट्रार के द्वारा स्वीकृत होगा।

59. रक्षित कोष (रिजर्व फण्ड) झारखण्ड सहकारिता अधिनियम, 1935 के अनुसार या तो किसी काम में लगाया जायगा या जमा किया जायगा :–

बशर्ते कि भारतीय रिर्जव बैंक एक विशेष आज्ञा से सोसायटी के कार्यो में लगाने के हेतु सोसायटी के रक्षित कोष के एक विशेष अंश को लगाने की आज्ञा दें।

60. रिस्क फण्ड :– रिस्क फण्ड इन सबों को मिला कर बनेगा :–

(1) (क) सोसायटी के अधीन प्रति वर्ष शुद्ध लाभ से जमा की गई रकम,
(ख) आदिवासी सदस्यों को जो प्रतिवर्ष अतिरिक्त अल्पकालीन/मध्यकालीन ऋण उपलब्ध कराये जाने पर उनको 8 प्रतिशत जनजातीय विकास परियोजना या राज्य सरकार द्वारा दिये गये अनुदान से।

(2) प्राइस फ्लक्चुएशन :– प्राइस फ्लूक्चुएशन फण्ड इन सबों को मिलाकर बनेगा :–
(क) सोसायटी के अधीन प्रतिवर्ष शुद्ध लाभ से जमा की गई रकम,
(ख) सोसायटी द्वारा क्रय–विक्रय की उपलब्धि का एक निर्धारित प्रतिशत जनजातीय विकास परियोजना या राज्य सरकार के अनुदान से।

61. उप- विधियो का परिवर्तन :– कोई भी उप–विधि तब तक बदली या काटी नहीं जा सकती है जब तक कि –
(क) सदस्यों को इस प्रस्ताव की सूचना आम सभा के बैठने के 15 दिनो के पहले नही दे दी जाती है,
(ख) प्रस्ताव जब तक आम–सभा में उपस्थित सदस्यों की दो–तिहाई वोट से पास नही हो जाता है,
(ग) निबंधक, को–ऑपरेटिव सोसायटीज से यह संशोधन, परिवर्त्तन या पूर्णरूप से हटा देने को मंजूर नहीं कर लिया जाता है।
परन्तु यह कि समिति के नाम के साथ बैंक शब्द का प्रयोग नही किया जायेगा।

62. पंचायत :– कोई भी झगड़ा जिसका निपटारा प्रबंध समिति या आम–सभा के द्वारा नही हो सकता है, निबंधक, को–ऑपरेटिव सोसायटिज के पास पेश किया जायेगा।

63. विघटन :– असाधारण आम–सभा, जो इसी उद्देश्य से, बुलाई जाय कि तीन–चौथाई सदस्यो के द्वारा पास किये गये तथा निबंधक के द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव से सोसायटी विघटित की जा सकती है।

64. अगर ऐक्ट की बनावट या नियमों अथवा उप–विधियों के विषय में किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न हो तो प्रबंध समिति इस बात को निबंधक के सम्मुख उपस्थित करेगी जिनका फैसला अन्तिम होगा।

65. उन सभी बातों का निपटारा जो विशेष रूप से नहीं दी गई है झारखण्ड सहकारिता अधिनियम, 1935 और उसके अधीन नियमों अथवा निबंधक के आदेशानुसार होगा।

निबंधन संख्या 56(R)/दिनांक 16.05.1977

नामकुम लैम्पस लिमिटेड

नामकुम प्रखण्ड, रॉची की उप–विधियों में संशोधन

क्र.	उप–विधियों की धारा	वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन	संशोधन हेतुक
1	2	3	4	5
01	03	इस सोसाईटी का कार्यक्षेत्र खिजरी, तुम्बागुटु, बरगॉवा एवं सिदरौल पंचायत के ग्रामों तक सीमित रहेगा।	इस सोसाईटी का कार्यक्षेत्र खिजरी पंचायत के ग्रामों तक सीमित रहेगा।	सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रॉची संकल्प/ज्ञापांक 75/रॉची दिनांक 09.01. 2013 के अनुपालन में

निदेशक,

प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी
नामकुम (रॉची)

अध्यक्ष,

प्रमाणित किया जाता है कि नामकुम लैम्पस लि० नि० सं० 56(R)/ दि० 16.05.1977 की उप–विधियों [illegible] 03 [illegible] दि० 18.02.13 को आम सभा/ [illegible] की प्रस्ताव संख्या 02 [illegible] झारखण्ड [illegible] (एक्ट 6,1935) (अंगीकृत) की धारा 25(2) के प्रावधानानुसार विधिवत निबंधित कर दी गई है।

30/3/13

जिला सहकारिता पदाधिकारी
रांची